वित्तीय जागरूकता के लिये DBS के साथ IEPFA की साझेदारी

स्रोत: पी.आई.बी.

निवेशक जागरूकता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम में, नई दिल्ली में निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (**Investor Education and Protection Fund Authority- IEPFA**) एवं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड (**DBS**) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।

- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) की स्थापना 7 सितंबर 2016 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में अन्य बातों के अलावा निवेशकों को शेयरों, बिना दावे वाले लाभांश तथा परिपक्व जमा/डिबेंचर के रिफंड के संदर्भ में निवेशक शिक्षा सुरक्षा कोष के प्रबंधन के लिये की गई थी।
    - IEPF जागरूकता को बढ़ावा देता है और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है।
    - IEPFA ने **वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और निवेशकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिये सशक्त बनाने** के उद्देश्य से कई निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये हैं।
- DBS 19 बाज़ारों में उपस्थिति के साथ एशिया का एक अग्रणी वित्तीय सेवा समूह है। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड **भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली, स्थानीय रूप से निगमित सहायक कंपनी** के रूप में परिचालन करने वाला **पहला प्रमुख विदेशी बैंक** है।
    - यह सभी स्तरों के उद्यमों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिये बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।

और पढ़ें: निवेशक शिक्षा सुरक्षा कोष

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/iepfa-partners-with-dbs-for-financial-awareness